न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 61 / 2023(GCMS 2023/337)
(RTI No. 212485790713334)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह वीपीओ 5 केएसडी पोओ सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619—41862)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2023 से बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय में सामान्य शाखा डाक शाखा में दर्ज क्रमांक दिनांक निम्न प्रकार 3789 दिनांक 21.04.2023 बनाम अधीक्षण अभि... ...चईडी विभाग के लोक सेवक एसई जगदीश एवं ... ...ईएन दोनों के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 की अवमानना पर कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत न्याय शाखा में विचाराधीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

2. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय में सामान्य शाखा डाक शाखा में अंकित क्रमांक दिनांक 03.05.2023 को न्याय शाखा प्रेषित किया गया है बनाम जन सूचना अधिकारी पीआईओ सतनाम सिंह के विरूद्ध आरटीआई कानून तोड़ने हेतु आरटीआई धारा 21 में प्रावधान है, कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत लिखा था उक्त प्रकरण की प्रमाणित कानूनी कार्यवाही के दस्तावेज चाहे है।
3. जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर की न्याय शाखा में प्रेषित प्रकरण दिनांक 06.06.2023 को किया था। सामान्य शाखा से 4906 / 30.06.23 इस प्रकरण की कानूनी कार्रवाई एवं दस्तावेज संलग्न चार बिन्दु सहित सम्पूर्ण पत्रावली के दस्तावेज चाहे है।
4. बिन्दु एक, दो, तीन के परिवाद व परिवाद के संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।
5. उक्त परिवाद में शिकायतकर्त्ता के ब्यानों के सम्बन्ध नोटिस एवं बयानों की प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध चाही है।
6. अप्रार्थी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।
7. प्रार्थना पत्रों पर जांच करने वाले लोक सेवक का पदनाम की सूची व कार्यालय मय सील के दस्तावेज चाहे है। शिकायत का निर्णय करने वाले के पदनाम व कार्यालय मय सील सहित दस्तावेज चाहे है।
8. शिकायत प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट की फोटो कॉपी चाही है।
9. उपलब्ध नहीं है।
10. आरटीआई आवेदन दिनांक 17.02.2023 में शुल्क पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर मे डाक पंजिका में दर्ज पेज की फोटो कॉपी, आवक जावक पेज की फोटो डाक पंजिका की चाही हैं उक्त आवेदन में शुल्क रसीद एवं कैशबुक में दर्ज पेज की फोटो कॉपी राजकोष जमा का विवरण सहित चाही है।
11. श्रीगगंगानगर जिला कलक्टर कार्यालय की सामान्य शाखा की डाक पंजिका में दर्ज क्रमांक 9676 दिनांक 26.09.2023 को न्याय शाखा में प्रेषित की थी। इस प्रकरण सम्पूर्ण पत्रावली एवं निर्णय, जांच रिपोर्ट, ब्यानों के लिए प्रार्थी के नोटिस की कॉपी और जांचकर्त्ता का पदनाम मय सील सहित अप्रार्थी का स्पष्टीकरण सहित सभी दस्तावेज प्रमाणित चाहे है।
12. जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर सामान्य शाखा में संभागीय आयुक्त क्रमांक 807 दिनांक 26.06.2023 सामान्य शाखा पंजिका में 4900 दिनांक 30.06.2023 के आरटीआई में एफआईआर दर्ज करवाने आदेश की पालना रिपोर्ट की फोटो चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एव अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी की मूल प्रार्थना प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाया गया था, इसलिए प्रार्थी की मूल अपील भी अपने पत्रांक 207 दिनांक 24.04.2024 से उन्हें स्थानान्तरित की गई हैं। अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्राक एफ17(1)(7)न्याय(आरटीआई)/2025 /1387 दिनांक 21.04.2025 जो मूल रूप से अपीलार्थी को लिखा गया है, की प्रति इस शाखा को प्रेषित की की है, जिसके अनुसार प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

क्र.सं.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के क्रम में आवेदन के बिन्दु	सूचना के क्रम में प्रत्युत्तर
1	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय में सामान्य शाखा डाक शाखा में दर्ज क्रमांक दिनांक निम्न प्रकार 3789 दिनांक 21.04.2023 बनाम अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी विभाग के लोक सेवक एसई जगदीश एवं सतीश अरोड़ा एक्सईएन दोनों के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 की अवमानना करने पर कनूनी कार्यवाही करवाने बाबत न्याय शाखा में विचाराधीन पर	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्पष्ट है कि सूचना जिस कार्यालय से चाही है, उसके द्वारा 30 दिवस में प्रत्युत्तर नहीं दिये जाने अथवा प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होने पर आवेदक द्वारा संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की जानी चाहिए। यदि प्रथम अपील अधिकारी के प्रत्युत्तर नहीं दिये जाने अथिवा प्रत्युत्तर के असंतुष्ट होने पर राज्य सूचना आयोम में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तरोत्तर स्तर पर अपील की जा सकती है, किसी लोक सेवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाना आवेदन के स्वयं के स्तर से संबंधित है, जिसमें इस कार्यालय कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आवेदन द्वारा लगाये विविध प्रार्थना पत्रों के क्रम में संयुक्त निदेशक(सा.) कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर को इस कार्यालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

		प्रेषित प्रत्युत्तर (पत्रांक एफ17() न्याय/2023/5566 दिनाक 24.11. 2023, जिसकी प्रतिलिपि पूर्व में आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है), की प्रमाणित प्रति आपको पत्र के साथ संलगन कर प्रेषित है।
2	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय में सामान्य शाखा डाक शाखा में अंकित क्रमांक दिनांक 03.05.2023 को न्याय शाखा प्रेषित किया गया है बनाम जन सूचना अधिकारी पीआईओ सतनाम सिंह के विरूद्ध आरटीआई कानून तोड़ने हेतु आरटीआई धारा 21 में प्रावधान है, कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत लिखा था उक्त प्रकरण की प्रमाणित कानूनी कार्यवाही के दस्तावेज चाहे है।	प्रत्युतर बिन्दु संख्या 01 के अनुसार
3	जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर की न्याय शाखा में प्रेषित प्रकरण दिनांक 06.06.2023 को किया था। सामान्य शाखा से 4906/30.06.23 इस प्रकरण की कानूनी कार्रवाई एवं दस्तावेज संलग्न चार बिन्दु सहित सम्पूर्ण पत्रावली के दस्तावेज चाहे है।	प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 01 के अनुसार
4	बिन्दु एक, दो, तीन के परिवाद व परिवाद के संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।	प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 01 के अनुसार
5	उक्त परिवाद में शिकायतकर्ता के ब्यानों के सम्बन्ध नोटिस एवं बयानों की प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध चाही है।	शिकायतकर्त्ता के ब्यानों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा न तो नोटिस जारी किये गये एवं न ही ब्यान दिये गये। शेष प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
6	अप्रार्थी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।	इस कार्यालय द्वारा अप्रार्थी का स्पष्टीकरण नहीं लिया गया।
7	प्रार्थना पत्रों पर जांच करने वाले लोक सेवक का पदनाम की सूची व कार्यालय मय सील के [illegible] शिकायत का निर्णय करने वा[illegible] पदनाम व कार्या[illegible] दस्तावेज चाहे है।	प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 01 के अनुसार
8	शिकायत प्रार्थना [illegible] की जांच रिपोर्ट की फोटो कॉपी चाही है।	आवेदक द्वारा लगाये विविध प्रार्थना पत्रों के क्रम में संयुक्त निदेशक(सा) कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

		को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर (एफ 17( )न्याय/2023/5566 दिनांक 24.11.2023, जिसकी प्रतिलिपि पूर्व में आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है), की प्रमाणित प्रति आपको पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
9	उपलब्ध नहीं है।	आपके अपील आवेदन में बिन्दु संख्या 09 नहीं होने के कारण इस कार्यालय स्तर पर प्रत्युत्तर संभव नहीं है।
10	आरटीआई आवेदन दिनांक 17.02.2023 में शुल्क पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर मे डाक पंजिका में दर्ज पेज की फोटो कॉपी, आवक जावक पेज की फोटो डाक पंजिका की चाही हैं उक्त आवेदन में शुल्क रसीद एवं कैशबुक में दर्ज पेज की फोटो कॉपी राजकोष जमा का विवरण सहित चाही है।	कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से संबंधित है।
11	श्रीगगंगानगर जिला कलक्टर कार्यालय की सामान्य शाखा की डाक पंजिका में दर्ज क्रमांक 9676 दिनांक 26.09.2023 को न्याय शाखा में प्रेषित की थी। इस प्रकरण सम्पूर्ण पत्रावली एंव निर्णय, जांच रिपोर्ट, ब्यानों के लिए प्रार्थी के नोटिस की कॉपी और जांचकर्त्ता का पदनाम मय सील सहित और अप्रार्थी का स्पष्टीकरण सहित सभी दस्तावेज प्रमाणित चाहे है।	परिवाद दिनांक 21.09.2023 (आरटीआई कानून की अवमानना करने एवं मिथ्या तथ्यहीन, असदभावना का कृत्य करने पर धारा 166, 166(ए) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता अनुसार कार्यवाही विषयक परिवाद) इस कार्यालय द्वारा अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रीगंगानगर को पत्रांक 4779 दिनांक 12.10.2023 के माध्यम से मूल ही प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति इस कार्यालय में संधारित नहीं है।
12	जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर सामान्य शाखा में संभागीय आयुक्त क्रमांक 807 दिनांक 26.06.2023 सामान्य शाखा पंजिका में 4900 दिनांक 30.06.2023 को आरटीआई [illegible] एफआईआर दर्ज करवाने आ[illegible] की पालना रिपोर्ट की [illegible] चाही है।	आवेदक द्वारा लगाये गये विविध प्रार्थना पत्रों के क्रम में संयुक्त निदेशक (सा.), कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर (पत्रांक एफ7( )न्याय/ 2023/5566 दिनांक 24.[illegible]2023), जिसकी प्रतिलिपि पूर्व में आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है) की प्रमाणित प्रति आपको पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बिन्दु संख्या 10 के लिए अपीलार्थी सक्षम कार्यालय में सूचना हेतु आवेदन कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **इस कार्यालय के पत्रांक 749/29.05.2024, 1615/13.11.2024, 1860/11.12.2024, 376/05.03.2025, 810/27.03.2025 लिखने के पश्चात आप द्वारा अपने पत्रांक 1387 दिनांक 21.04.2025 को अपील का जवाब भिजवाया गया है, जिस कारण अपील निस्तारण समय पर नहीं हो पाया। अतः आपको सावचेत किया जाता है कि भविष्य आप अपने दायित्व की विहित अवधि में पालना सुनिश्चित करें।** आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:10 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर